>

Need to accord martyr status to the soldiers who died in the line of duty.

श्री लक्ष्मी नारायण यादव (सागर): महोदय, देश की सीमा सुरक्षा में लगे सेना जवानों पर हर भारतीय गर्व करता है। ये जवान विषम परिस्थितियों में, दुर्गम क्षेत्रों में देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं। वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी वाले क्षेत्रों में, भयानक जंगलों में, जानलेवा मौसम में वे अपने साहस का परिचय देते हुए मातृभूमि की रक्षा में संलग्न रहते हैं। भारत के रक्षा मंत्रालय के नियमों के अनुसार युद्ध के दौरान शत्रु देश की सेना की गोली लगने पर शहीद का दर्जा दिया जाता है। देश के बर्फीले इलाके सियाचीन, जो भारत का एक बार्डर है, वहाँ पर किसी जवान की मौत बीमारी से हो जाती है तो भी उसे शहीद का दर्जा दिया जाता है। मैं सदन का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूँ कि पूर्वोत्तर राज्य, जो चीन की सीमा के साथ लगे हुए हैं, जिनकी जलवायु एवं प्रकृति सियाचीन जैसी है और 19000 फीट की ऊँचाई पर है। इस सीमा के क्षेत्र भी अत्यंत दुर्गम हैं, यहाँ पर भी जो सैनिक रहते हैं, उन्हें भी ऑक्सीजन की कमी का सामना करना पड़ता है। अगर यहाँ पर किसी जवान की मौत देश की रक्षा करते हुए हो जाती है तो उसको शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता। देखा जाए तो युद्ध के दौरान दुश्मन देश की सेना की गोली से हुई मौत एवं देश की सीमा की रक्षा करते हुए बीमारी की वजह से हुई मौत एक जैसी है। यह भी एक शहादत की ही तरह है। इन मौतों में शहीद का दर्जा दिये जाने का पक्षपात करना भारतीय सेना के जवानों के साथ अन्यायपूर्ण कार्य है। ऐसी कई घटनाएं पूर्व में हुई हैं, जिनमें शहीद का दर्जा नहीं दिया गया, जिसके कारण इस प्रकार की मौत प्राप्त करने वाले जवानों के परिवार एक सदमे में रहते हैं। ऐसा ही एक प्रकरण मेरे समक्ष आया था।

सभापति जी, 18 अक्तूबर, 2014 को अरुणाचल प्रदेश की चीन से लगी सीमा पर 19000 फीट की ऊँचाई पर स्थित एवं -15 डिग्री सैंटिग्रेड तापमान वाले एक दुर्गम क्षेत्र में रक्षा करते हुए एक जवान सुनील कुमार यादव की अचानक मौत हो गई। उसको शहीद का दर्जा नहीं दिया गया जिसके कारण उसका परिवार आज भी दर-दर घूम रहा है, सेना भवन के चक्कर काट रहा है। अतः सदन के माध्यम से मैं सरकार से मांग करता हूँ कि देश की सीमा की सुरक्षा करते हुए ड्यूटी के दौरान अगर कोई जवान किसी भी वजह से मौत का शिकार हो जाता है तो उसे शहीद का दर्जा दिया जाए। इसके लिए नियमों को बदला जाए।

माननीय सभापति : श्री भैरों प्रसाद मिश्र, डॉ. मनोज राजोरिया, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री रामचरण बोहरा, श्री राजीव सातव, श्री शरद त्रिपाठी एवं श्री जगदम्बिका पाल को श्री लक्ष्मी नारायण यादव द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।